FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26 Crim I

नाम अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

लीलाबाई बनाम रामलाल

किस्म मुकदमा 111-128

प्रकरण संख्या 13 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/1/2025	प्रार्थना-पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 11/2/2025 को वास्ते तलबी / जवाब पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की तामील अप्राप्त। पत्रावली वास्ते तामील आगामी दिनांक 20/02/25 को पेश हो।	
20/2/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी को 3 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 24/02/25 को पेश हो।	
24/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/26

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	13/25 13/25	31/1/25		11/2/25 20/2/25 ~~17/3/25~~ 24/2/25

अनवान

श्री सीताबाई पुत्री अमरा श्री रामलाल पिता प्रभु

निवासी केरखेड़ा निवासी केरखेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री पुनीत कुमार श्री Ex-Parte

8239521779 (14)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 13/25 तारीख दायर 31/1/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :– प्रकरण संख्या ....13/25............ प्रत्थरगढी बाबत्।

सीता पुत्री भवाना जाति भील उम्र व्यस्क निवासी केरखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........प्रार्थी

रामलाल पिता प्रभु जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी केरखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 165 पर स्थित आराजी संख्या 360, 398, 701/360 कुल किता 3 रकबा 1.6997 हैक्टेयर भुमि, तथा खाता संख्या 164 पर स्थित आराजी संख्या 358, 359 कुल किता 2 रकबा 2.4928 हैक्टेयर भुमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेशं पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या .... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस Sunyसाफ कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

82395 21779 (14)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 13/25 तारीख दायर 31/01/25

सीता पुत्री भवाना जाति भील उम्र व्यस्क निवासी केरखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........प्रार्थी

रामलाल पिता प्रभु जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासी केरखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

...............विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

दिनांक :– 24/2/25

:–आदेशः–

प्रार्थनापत्र प्रार्थीया श्रीमति सीता भील ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 165 पर स्थित आराजी संख्या 360, 398, 701/360 कुल किता 3 रकबा 1.6997 हैक्टेयर भुमि, तथा खाता संख्या 164 पर स्थित आराजी संख्या 358, 359 कुल किता 2 रकबा 2.4928 हैक्टेयर भुमि,** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2073–2076** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम **मौजा ग्राम केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 165 पर स्थित आराजी संख्या 360, 398, 701/360 कुल किता 3 रकबा 1.6997 हैक्टेयर भुमि, तथा खाता संख्या 164 पर स्थित आराजी संख्या 358, 359 कुल किता 2 रकबा 2.4928 हैक्टेयर भुमिकी** बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ